निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 26 पटना, बुधवार, 6 आषाढ़ 1934 (श0)
27 जून 2012 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	3-4
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	5-6

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

19 जून 2012

सं० **2172**—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–41 के अधीन श्री अरविन्द कुमार भारती, वरीय उप–समाहर्त्ता, पूर्णियाँ को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, पूर्णियाँ के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

डा0 राजीव कुमार, उप–सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+**10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

22 जून 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-01/2011/8984—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्र संख्या 2614 दिनांक 16.05.2012 द्वारा तत्काल 2 राज्यस्तरीय प्राथमिक सहयोग समितियों, यथा पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड एवं बिहार एसिक कर्मचारी साख सहयोग समिति लिमिटेड का निर्वाचन देय होने की सूचना प्राधिकार को दी गई है।

और, चूंकि उक्त दोनों राज्यस्तरीय प्राथमिक सहयोग समिति में 1 (एक) अध्यक्ष, 1 (एक) सचिव, 1 (एक) कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के 10 (दस) सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है, जिसमें सदस्य के पदों में 2 (दो) स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटि के सदस्यों के लिए, 2 (दो) स्थान महिलाओं के लिए, 1 (एक) स्थान पिछड़ा वर्ग कोटि के सदस्यों के लिए एवं 1 (एक) स्थान अति पिछड़ा वर्ग कोटि सदस्यों के लिए आरक्षित हैं।

अत: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार उक्त प्राथमिक सहयोग समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 29.07.2012 (रविवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित प्राथमिक सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने प्राथमिक सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 8071 दिनांक 23.05.2012 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ-तिथि 30.04.2012 निर्धारित की गयी है एवं उसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पटना-सह-निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दोनों समितियों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 09.06.2012 को कर दिया गया है ।

निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29.06.2012 (शुक्रवार) को संलग्न प्रपत्र-1 में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3-4 बजे से शुरू की जायेगी।

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

राज्यस्तरीय प्राथमिक सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012

निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	-	29.06.2012 (शुक्रवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं अवधि	-	18.07.2012 (बुधवार) 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं अवधि	-	18.07.2012 (बुधवार) 1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि/ अवधि	-	18.07.2012 (बुधवार) 4 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	29.07.2012 (रविवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	-	29.07.2012 (रविवार) अपराह्न 3-4 बजे से सुविधानुसार

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+25-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट
का
पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

कार्यालय जिला पदाधिकारी अररिया
(स्थापना प्रशाखा)

आदेश
6 फरवरी 2012

सं० 104/स्था०—सी0डब्लू जे0सी0 संख्या 13526/2009 निर्भय कुमार बनाम, बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक 23.08.2011 को पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता की ओर से दिनांक 13.10.2011 को संलग्न कागजातों के साथ दाखिल किये गये अभ्यावेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री निर्भय कुमार, लिपिक, समाहरणालय अररिया जिन्हें आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति की अवधि में वर्ष 2005 से 2006 के बीच सेवा अपीलवाद के 23 मामलों को एक माह से लेकर लगभग एक वर्ष की अवधि तक आयुक्त महोदय के समक्ष उपस्थपित नहीं करने और अपीलार्थियों को न्याय से बंचित रखने के आरोप में निलंबन करते हुए विभागिय कार्यवाही चलाई गई थी को विभागिय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के आधार पर पूछे गये द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव प्राप्त नहीं होने पर उन्हें इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 834/स्था0 दिनांक 04.12.2007 द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

उक्त बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध श्री निर्भय कुमार ने आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के न्यायालय में सेवा अपील दायर किया था, जिसके खरिज हो जाने के पश्चात श्री कुमार ने माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 13526/2009 दायर किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.08.2011 को अंतिम आदेश पारित करते हुए यह स्वीकारा गया कि आवेदक के द्वारा मात्र कुछ वाद अभिलेख समय से आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने को अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासिनता से अधिक नहीं आँका जा सकता है, लिहाजा सिर्फ इसी आरोप के लिए आवेदक को सरकारी सेवा से हमेशा के लिए बर्खास्त करने का निर्णय न सिर्फ काफी कड़ा है, बल्कि कठोर भी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने सजा की मात्रा (परिमाण) कम करने का निर्णय अपने मुखर आदेश के आधार पर लेने का जिम्मा जिला पदाधिकारी (**Disciplinary authority**) पर छोड़ दिया।

बर्खास्त कर्मी श्री निर्भय कुमार के द्वारा अपने अभ्यावेदन में बर्खास्तगी जैसे दण्ड की वजह से अपनी दयनीय शारीरिक एवं आर्थिक स्थिति को भी अत्यंत ही भावपूर्ण ढ़ंग से वर्णित करते हुए बताया गया है कि वे मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त हो गये कि उन्हें कई लाईलाज बिमारियों ने इस कदर जकड़ लिया जिससे निकलने के लिए वे आज अंतिम जंग लड़ रहें हैं। वर्त्तमान में वे हाईब्लडप्रेसर, हाईडायवटिज से लेकर **HEPT- B** एवं **Lever Cerosis** तक की बिमारी से ग्रसित हो चुके हैं। दो छोटे– छोटे बच्चों के भरण पोषण की विकट समस्या से उबरने के लिए संघर्षरत श्री निर्भय कुमार अपने पुस्तैनी संपत्ति के रूप में प्राप्त दो बीघे जमीन भी बेच चुकें है। उन्होंने बताया कि उनके पास नौकरी के आलावे जीवीका का कोइ भी अन्य साधन मौजुद नहीं है आवेदक ने अपने आवेदन के साथ वर्ष 2002 में तत्कालीन आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के द्वारा दिए गये प्रशंसा पत्र को भी संलगन करते हुए, यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि वे एक समर्पित एवं कर्मठ सरकारी सेवक रहें हैं, बावजूद इसके उनकी ओर से यह मानवीय चूक जरूर हूई।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में श्री निर्भय कुमार ने अपने अभ्यावेदन में इस तथ्य से साफ इंकार करते हुए ससमय द्वितीय कारण पृच्छा दाखिल करने से संबंधी पारगमन शाखा में दिनांक 30.11.2007 की प्राप्ति रसीद तथा तत्संबंधी स्थापना उपसमाहर्त्ता, अररिया की स्वीकारोक्ति संबंधी पत्र जिसका ज्ञापांक 339 दिनांक 18.11.2008 भी संलग्न किया गया है जो यह प्रमाणित करने का प्रर्याप्त आधार उपलब्ध कराता है कि आवेदक का द्वितीय कारण पृच्छा समय पर प्राप्त होने के बावजूद

कतिपय कारणों से बर्खास्तगी आदेश निर्गत करने के पूर्व उस पर विचार नहीं किया गया, जो कि न सिर्फ इस हेतु निर्धारित विधि सम्मत प्रक्रिया के विरूद्ध, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के भी प्रतिकूल है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 13526/2009 निर्भय कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में जिला दण्डाधिकारी –सह– समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 20.01.2012 को पारित मुखर आदेश एवं उपर्युक्त संदर्भ पर न्यायसंगत दृष्टिकोण से विचार के साथ–साथ आवेदक की अत्यंत दयनीय मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक स्थिति के मद्देनजर उनके परिवार, विशेषकर अबोध बच्चों की बदहाली पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए श्री निर्भय कुमार को दिए गये बर्खास्तगी के दण्ड को कम कर निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करते हुए पुनः सेवा में बहाल किया जाता है।

1. असंचयि प्रभाव से दो वेतन वृद्धि की कटौती।

2. बर्खास्तगी अवधि के लिए आवेदक को वेतन एवं किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

3. बर्खास्तगी अवधि को उनकी सेवा में टूट माना जाएगा।

आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट,
जिला पदाधिकारी, अररिया।

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना
3 अप्रील 2012

सं0 निग/सारा–I (ग्रा0)–90/02 (अंश)–3831 (एस)—मो0 मदिउज्जमा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, द्वारा कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितताओं के लिए इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग की अनुशंसा के आलोक में मामले के समीक्षोपरांत एवं सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या 10097 (एस) दिनांक 18.11.99 द्वारा इनसे सरकार को हुई कुल आर्थिक क्षति ₹ 2,23,000 के परिपेक्ष्य में इनके वेतन से ₹ 66,900 की वसूली करने एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आरोप–पत्र अलग से निर्गत किये जाने का आदेश संसूचित किया गया।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 2005 (एस) दिनांक 20.04.05 द्वारा इनके पेंशन से 3 प्रतिशत की राशि की कटौती का आदेश संसूचित किया गया।

3. तद्आलोक में विभागीय अधिसूचना (शुद्धि पत्र) संख्या 8034 (एस) दिनांक 25.10.05 द्वारा अधिसूचना संख्या 2005 (एस) दिनांक–20.04.05 को संशोधित करते हुए निम्न आदेश निर्गत किया गया :–

(i) इनके पेंशन से तीन प्रतिशत की राशि की कटौती

(ii) विभागीय अधिसूचना संख्या 10097 (एस) दिनांक 18.11.99 द्वारा निर्गत ₹ 66,900 की वसूली का आदेश बरकरार रहेगा।

4. सी0डब्लू0जे0सी0सं0 5462/07 मो0 मदिउज्जमा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 09.11.11 को पारित न्यायादेश के आलोक में विधि विभाग, बिहार से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा मामले को अपील में जाने योग्य नहीं बताया गया।

5. तदनुसार CWJC सं0 5462/07 में दिनांक 09.11.11 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अधिसूचना (शुद्धि–पत्र) संख्या 8034 (एस) दिनांक 25.10.05 द्वारा संसूचित आदेश के दूसरे भाग अर्थात् विभागीय अधिसूचना संख्या 10097 (एस) दिनांक 18.11.99 द्वारा निर्गत ₹ 66,900 की वसूली के आदेश, को रद्द किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+**10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in